8

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 23/2020

अविनाश जौहरी, जनरल मैनेजर, खेतडी ट्रस्ट, डी-66, सवाई माधोसिंह रोड, बनीपार्क, जयपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं।

-- --

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 05.08.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 11.03.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 23/2020 पर दिनांक 12.03.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /456-457 दिनांक 13.03.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/611 दिनांक 17.03.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 16.01.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/362 दिनांक 18.01. 2020 द्वारा तहसीलदार खेतडी को नियमानुसार सूचना उपलबध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/20/611 दिनांक 17.03.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 16.01.2020 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/09/362 दिनांक 18.01.2020 द्वारा तहसीलदार खेतडी को नियमानुसार सूचना उपलबध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। **लो0सू0अ0 (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।**
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 05.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू